

न्यायालय कलेक्टर(शेखर वर्मा) जिला अलीराजपुर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक ३३ / वी-१२१ / २०१४-१५

: आदेश ::

(आज दिनांक २३/०५/२०१५ को पारित किया गया)

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अलीराजपुर के माध्यम से तहसीलदार अलीराजपुर का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त, प्रकरण का अवलोकन किया गया। दिनांक 21.3.2015 को घटनास्थल ग्राम बड़ी (वालक) आश्रम के सामने) तहसील अलीराजपुर में सड़क दुर्घटना होने से मोहनसिंह पति धुंधा जाति बलाई निवारी ग्राम बड़ी तहसील अलीराजपुर की मृत्यु होने पर आर्थिक अनुदान राशि रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार रूपये) स्वीकृत किये जाने की अनुशंसा की गई है।

अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार अलीराजपुर के अभिभाव से सहमत होकर मृतक के वारिशान पत्नि दुरबाई पति स्व.श्री मोहनसिंह जाति बलाई निवारी ग्राम बड़ी तहसील अलीराजपुर को गद्यप्रदेश शारान सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के द्वापर क्रमांक/ एफ- २०-२१/२०१२/१/४ भोपाल, दिनांक 16/07/2014 में निहित प्राप्तधान अनुसार गंभीर रूप से घायल होने पर आर्थिक अनुदान सहायता राशि रूपये 15000/- (पन्द्रह हजार रूपये) स्वीकृत किये जाते हैं।

उक्त व्यय मांग संख्या 02-लेखाशीर्ष 2235 रामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम -800-अन्य व्यय- (1982) दुर्घटना में मृतकों के परिवार तथा घायलों को वित्तीय सहायता -42 सहायता अनुदान -007 अन्य आयोजनेत्तर के अंतर्गत विकल्पीय होगी।

अनुदान राशि पीडित व्यक्ति को तत्काल वितरित की जाये।

(रामर कर्मा)

कलेक्टर

जिला अलीराजपुर
अलीराजपुर दिनांक २३/०५/२०१५

पृ०क / ५१ / रीडर / 2015

प्रतिलिपि:-

- 1 जिला कोषालय अधिकारी जिला अलीराजपुर।
- 2 प्रभारी अधिकारी (राहत शाखा) जिला कार्यालय अलीराजपुर
- 3 प्रभारी अधिकारी (वित्त-2) जिला अलीराजपुर।
- 4 अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अलीराजपुर।
- 5 तहसीलदार तहसील अलीराजपुर।
- 6 संबंधित दुरबाई पति स्व.श्री मोहनसिंह जाति बलाई निवारी ग्राम बड़ी तहसील अलीराजपुर की ओर सूचनार्थ।

कलेक्टर
जिला अलीराजपुर